UPBD010020162026

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 902 / 2026

1. शिवकुमार पुत्र सिद्धगोपाल उर्फ सिद्धू,
2. काशी प्रसाद पुत्र महेश्वर उर्फ महेश प्रसाद,
3. रामफल पुत्र राजाराम।

निवासीगण ग्राम–नौहाई, थाना–नरैनी, जिला–बांदा।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु०अ०सं० 398 / 2025

धारा–76, 351(2), 352 बी.एन.एस.

थाना–नरैनी, जिला–बांदा।

दिनांक 08.06.2026

1. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण / अभियुक्तगण शिवकुमार, काशी प्रसाद एवं रामफल की ओर से अपराध संख्या–398 सन् 2025 अंतर्गत धारा– 76, 351(2), 352 बी.एन.एस., थाना नरैनी, जिला बांदा में जरिये अधिवक्ता अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु संस्थित किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वयं के शपथपत्रों से समर्थित है।

2. संक्षेप में वादिया मुकदमा / पीड़िता का प्राथमिकी में कथन है कि वह दिनांक 12.12.2025 को समय लगभग शाम 6.30 बजे अपने घर से मवेशियों का गोबर डालने के लिये थोड़ी दूरी पर गयी थी, तभी पहले से घात लगाये बैठे हुये शिवकुमार पुत्र सिद्धगोपाल व काशी पुत्र महेश्वर व रामपाल पुत्र राजाराम उसके साथ छेड़खानी करने लगे। अकेला होने का फायदा उठाकर उक्त व्यक्तियों द्वारा उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया गया जब तक उसकी सास राजाबाई आ गयी तो, उक्त लोगों ने उसको छोड़ा और भाग खड़े हुये। उसको उक्त व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी है। उसके साथ उक्त लोगों द्वारा किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित की जा सकती है। वह अत्यन्त परेशान है। उसको जान का खतरा है। उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किये जाने की याचना की गयी है।

3. आवेदकगण / अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये हैं कि वे वाद उपरोक्त में निर्दोष है एवं कोई जुर्म नहीं किया है। उन्होंने वाद उपरोक्त से संबंधित किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादिया ने बुराईवश झूंठे व काल्पनिक आरोपों के आधार पर उनके विरूद्ध झूंठी प्रथम

Digitally signed by ARPANA SHARMA
Date: 2026.06.08 14:38:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सूचना रिपोर्ट थाना–नरैनी में दर्ज करवायी है एवं विवेचक को अपने प्रभाव में लेकर उनसे झूंठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया है। वादिनी मुकदमा द्वारा वाद उपरोक्त से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के दूसरे दिन थाना–नरैनी में दर्ज कराना कहा गया है, जबकि एफ.आई.आर. में कथित घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 10 किलोमीटर कही गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना सार्वजनिक स्थान की कही जाती है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह होना नहीं कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान वादिया अंतर्गत धारा–180 व 183 बी.एन.एस.एस. व डाक्टर के समक्ष दिये गये बयान में भिन्न–भिन्न कथन कथित घटना के संबंध में कहे गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक झूंठा व बनावटी है। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र नरैनी की मेडिको लीगल रिपोर्ट व डाक्टर स्वाती चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, नरैनी के अनुसार मजरूबा के शरीर पर कोई भी विजुबल इंजरी नहीं पायी गयी है। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र नरैनी, बांदा की मेडिकल लीगल एक्जामनेशन रिपोर्ट सेक्सुअल वायलेन्स के अनुसार, पीड़िता के पति ने पीडिता की सहमति से आन्तरिक परीक्षण कराने से मना किया है एवं पीड़िता के पति प्रेमनरायण का यह कथन अंकित है कि उसकी बीबी के साथ आंतरिक छेडखानी नहीं हुयी है, इसलिये आंतरिक परीक्षण नहीं कराना चाहते हैं। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ कोई छेड़खानी व सेक्सुअल वायलेन्स नहीं हुआ है, बुराईवश अपराध में झूंठा फंसाने के उद्देश्य से झूंठा अभियोजन कथानक रचा गया है। पीड़िता घ ाटना की एक मात्र साक्षी कही गयी है। विवेचक द्वारा अंकित वादिया के पति के बयान अंतर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीनी विवाद के कारण उनको वाद उपरोक्त में झूंठा फंसाया गया है। उनके गांव की रेखा जो उनकी रिश्तेदार है, ने वादिया व वादिया के पति प्रेमनरायन उर्फ नरायन के विरूद्ध दिनांक 23.10.2024 को शाम 04.30 बजे घटित घटना के संबंध में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु क्रि0मि0नं0–1066 सन् 2024 रेखा बनाम नरायन उर्फ प्रेमनरायन आदि थाना–नरैनी, अंतर्गत धारा–175(3) बी.एन.एस.एस. न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0, बांदा के यहां दिनांक 09.12.2024 को प्रस्तुत किया था, जिसको दिनांक 15.01.2025 को परिवाद के रूप में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया था जिसमें साक्ष्य अंतर्गत धारा–223 व 225 बी.एन.एस.एस. अंकित होने के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस 223(1) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत जारी करने होने हेतु आदेश पारित किया गया है। इस मुकदमें में आवेदक काशी गवाह है, इस मुकदमे की जानकारी होने पर वादिया ने नाराज होकर बुराईवश दिनांक 12.12.2025 की झूंठी व काल्पनिक घ ाटना रचकर उनके विरूद्ध झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी और विवेचक को प्रभावित कर झूंठा आरोप पत्र प्रस्तुत करवा दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथित दिनांक, समय व स्थान पर उन्होंने वादिया के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की है और न ही उसका मुंह दबाकर जमीन में पटका है और न ही

उसकी साड़ी खींची है और न ही गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी है। वादिया द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट झूंठे व काल्पनिक कथनों के ऊपर आधारित है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से उनके विरूद्ध धारा–76, 351(2), 352 बी.एन.एस. का कोई अपराध नहीं बनता है। विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है एवं न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात उनको विचारण हेतु तलब किया गया है। विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध धारा–76, 351(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 76 बी.एन.एस. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर उनको कारागार में निरूद्ध होना पड़ेगा। जिससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। इसलिये यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय में उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी अन्य सत्र न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है। वे कभी भी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे। न्यायालय के आदेशानुसार जमानत व निजी बंधपत्र प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा ताफैसला मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य कहा है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर वादिया मुकदमा/पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए उसकी साड़ी खींचने तथा गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। मामले में आरोप पत्र आ चुका है। अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। पीड़िता के पति ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि उसने एक महिला को जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया है, परन्तु वह महिला न तो अपनी जमीन दे रही है और न ही पैसा और जब वह पैसा मांगने जाता है, तो यह तीनों लोग गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते है। पीड़िता के पति के उक्त बयान से यह जमीनी विवाद दर्शित होता है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत योग्य मामला बनता है,

तदनुसार गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शिवकुमार, काशी प्रसाद एवं रामफल की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन पचास–पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक–एक प्रतिभू, विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. अभियुक्तगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या दबाव नहीं डालेगे।

2. अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्यों को नष्ट नहीं करेगे।

3. अभियुक्तगण दौरान विचारण प्रत्येक तिथि पर अपनी–अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगे।

4. अभियुक्तगण अपना–अपना तथा अपने–अपने जमानतदार का मोबाइल नम्बर न्यायालय में उपलब्ध करायेगे तथा उनके पते का नियमानुसार सत्यापन कराया जावे।

5. अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगे।

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)

दिनांकः 08.06.2026